**[2013] 11 एससीआर 328**

**पंचानंद मंडल @पचन मंडल और अन्य**

**बनाम.**

**झारखंड राज्य**

**- (आपराधिक अपील संख्या 2173 of 2009)**

**4 अक्टूबर, 2013**

**[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और कुरियन जोसेफ, जे. जे.]**

दंड संहिता, 1860- एस. 304 B- दहेज मृत्यु- आरोप - अभियोजन मामला। मृत्यु घोषणा और पीडब्लू 13 और 14, मृतक के भाई और मां द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर - अपीलार्थियों की सजा:

(मृतक के सास-ससुर) - औचित्य - आयोजितः न्यायोचित नहीं- पीडब्लू 13 द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृत्यु से ठीक पहले पीडब्लू- 13 ने मृतक से बात की थी या वह मृतक बयान देने की स्थिति में था - उसका बयान पीडब्लू -14 द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन पीडब्लू -12 - दस्तावेज़ .4 द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, मरने की घोषणा भी दुर्बलता से ग्रस्त है - ए एस आई जिसने मरने वाली घोषणा दर्ज की थी, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए पेश नहीं किया गया था- ए एस आई की गैर- उपस्थिति ने प्रतिवादी के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया क्योंकि उन्हें उससे प्रतिपरीक्षा करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था - मरने की घोषणा (दस्तावेज़.4) किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मृतक बयान देने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट स्थिति में था- हालांकि ऐसा प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, यह उस अधिकारी का कर्तव्य था जिसने यह उल्लेख किया था कि क्या मृतक इस तरह के बयान देने के लिए मानसिक और चिकित्सकीय रूप से फिट स्थिति में था, खासकर जब मामला थर्ड डिग्री बर्न का था जो मौत का कारण बन सकता था- मृतक के ससुराल वालों पर अशुभ आरोप लगाए गए। पीडब्लू-13 या पीडब्लू-14 ने अपने बयानों में कोई विशिष्ट घटना नहीं बताई- न हीं रिकॉर्ड पर यह सुझाव दिया कि मृतक को उनकी मृत्यु से पहले "और" दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और उत्पीड़न के अधीन किया गया था ।

**पंचानंद मंडल @ पचन मंडल**

**बनाम**

**329 झारखंड**

" - इसके अलावा, मृतक ने अपनी मृत्यु घोषणा में दहेज की मांग का संकेत देते हुए कोई बयान नहीं दिया- मृत्यु घोषणा की प्रामाणिकता के बारे में वैध संदेह- सामान्य रूप से क्रूरता और उत्पीड़न का साक्ष्य धारा 304B आईपीसी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है - अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।

पीडब्लू-14 (मुखबिर) की बहन को जलने की चोटें आईं और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जब मृतक रसोई में रोटी बना रहा था, तो उसके ससुराल वालों ने उसके सिर पर मिट्टी का तेल डाला और उसकी साड़ी में यह कहते हुए आग लगा दी कि वह दहेज में गाय और सोने की अंगूठी नहीं लाई है। आरोप लगाया गया था कि मृतक को हमेशा दहेज के लिए परेशान किया जाता था और कभी-कभी उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। मृतक के ससुर, सास, दो जीजाओं और पति पर मुकदमा चलाया गया। पीडब्लू- 13 मृतक की मां है जबकि पीडब्लू- 12, पीडब्लू- 14 का सह-ग्रामीण है जो उसके साथ अस्पताल में मृतक को देखने गया था, विस्तार 4 को 'मरने की घोषणा' कहा जाता है। मुख्य रूप से मृत्यु घोषणा (दस्तावेज़.4) और पीडब्लू-12, पीडब्लू-ई 13 और पीडब्लू-14 के बयानों के आधार पर, निचली अदालत ने मृतक के सास-ससुर और बहनोई को आईपीसी की धारा 3048/ 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन मृतक के पति को इस आधार पर बरी कर दिया कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। निचली अदालत के आदेश एफ की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी।

माता- पिता यानी अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि पीडब्लू 13 और 14 मृतक की मां और भाई होने के नाते इच्छुक गवाह थे, जबकि पीडब्लू-12 एक सह- ग्रामीण था और इसलिए उनके साक्ष्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

इसके अलावा, अपीलार्थी के अनुसार, दस्तावेज़ 4, तथाकथित मृत्यु घोषणा पर कोई निर्भरता नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि एएसआई, जिसने मृत्यु घोषणा दर्ज की थी, की जांच नहीं की थी और मृत्यु में कोई प्रमाण पत्र नहीं था।

बयान देने के लिए एक घोषणा कि मृतक मानसिक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ स्थिति में था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहाः 1. आईपीसी की धारा 304 B (1) दहेज मृत्यु से संबंधित है। प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अपराध के निम्नलिखित बुनियादी तत्वों को स्थापित करने की आवश्यकता हैः

(i) महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों की तुलना में जलने या घातक चोट के कारण या अन्यथा होनी चाहिए; (ii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के 7 वर्षों के भीतर हुई होनी चाहिए; (iii) उसे पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए; और (iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।
[पैरा 10) [336- डी, जी-एच; 337- ए-बी]

विश्वजीत हलदर उपनाम बाबू हलदर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। (2008) 1 एससीसी 202:2007 (4) एससीआर 120- संदर्भित।

2.1. विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से एक एफ. आई. आर. (दस्तावेज़.1) मृत्यु घोषणा (दस्तावेज़.4) और पीडब्लू 13 और 14 द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित है। [पैरा 9) [336- D]

2.2. मृतक के भाई पीडब्लू- 14 ने कहा है कि मृतक की शादी मृत्यु की तारीख से लगभग 5 साल पहले हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के अपने पति और ससुराल वालों के साथ संबंध शुरू में अच्छे थे। उन्होंने आगे कहा कि बाद में एक गाय और एक सोने की अंगूठी के लिए मांग के रूप में दहेज की मांग की गई थी। पीडब्लू- 13, मृतक की मां ने भी बयान दिया है कि मृतक की शादी मृत्यु से लगभग 5 साल पहले हुई थी। उसके अनुसार, मृत्युशय्या पर मृतक ने उसे ससुर और सास द्वारा जलाए जाने के बारे में बताया और कहा कि एच दहेज और उत्पीड़न की मांग कर रहा था। लेकिन उनका बयान पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पर भरोसा नहीं किया जा सकता है

**पंचानंद मंडल @-पचन मंडल**

**बनाम**

**331 झारखंड राज्य**

कि मृत्यु से ठीक पहले पीडब्लू- 13 ने मृतक से बात की थी या मृतक बयान देने की स्थिति में था। उसके बयान की पुष्टि पीडब्लू -4 द्वारा की गई है जो अस्पताल में मौजूद था लेकिन पीडब्लू -12 द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी एक पड़ोसी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भी अस्पताल में मौजूद था

2.3. दस्तावेज़.4- मरने की घोषणा भी दुर्बलता से ग्रस्त है। जिस ए. एस. आई. ने मृत्यु की घोषणा दर्ज की थी, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा जांच या प्रति परीक्षा के लिए पेश नहीं किया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि एएसआई के खिलाफ जारी समन और पुलिस अधीक्षक को लिखे गए पत्रों के बावजूद उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। ट्रायल कोर्ट ने गलत निर्णय दिया कि यह एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण था। वास्तव में, एएसआई की गैर- उपस्थिति ने प्रतिवादी के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है क्योंकि उन्हें उससे जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि मरने की घोषणा (दस्तावेज़ 4) किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मृतक बयान देने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट स्थिति में था। हालांकि ऐसा प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह दर्ज करने वाले अधिकारी का कर्तव्य था कि वह यह उल्लेख करे कि क्या मृतक इस तरह का बयान देने के लिए मानसिक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ था, विशेष रूप से जब मामला थर्ड डिग्री बर्न का था जिससे मृत्यु हो सकती थी। [पैरा 13] (337-एच; 338-ए-डी]

2.4. मृतक के ससुराल वालों के खिलाफ अशुभ आरोप लगाए गए हैं। मृतक की मां पीडब्लू- 13 या मृतक के भाई पीडब्लू- 14 ने अपने बयानों में कोई विशेष घटना नहीं बताई है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मृतक को "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" और "दहेज की मांग के संबंध में" क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। इसके अलावा, मृतक ने अपनी मृत्यु घोषणा में दहेज की मांग का संकेत देते हुए कोई बयान नहीं दिया है।

एक रक्षा ने सफलतापूर्वक मृत्यु घोषणा की प्रामाणिकता के रूप में एक वैध संदेह पैदा किया है क्योंकि उसी को दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी की जांच नहीं की गई थी। साक्ष्य में ऐसी कमी अभियोजन मामले के लिए घातक साबित होती है क्योंकि सामान्य बी में क्रूरता और उत्पीड़न का साक्ष्य आईपीसी की धारा 3048 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। [पैरा 14,15]

2.5. अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। इसलिए, दोषसिद्धि और दी गई सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 16] [339-ए]

मामला कानून संदर्भः

2007 (4) एस. सी. आर. 120 संदर्भित पैरा 11

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील नं. 2009 का 2173.

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.09.2006 से । आपराधिक ए.सं.o. 2001 का 441.

अनिल कर्णवाल (एसी ), अपीलार्थियों की ओर से संजीव के. भारद्वाज, मनोज जोशी।

प्रत्यर्थी की ओर से जायेश गौरव, अमरेंद्र कुमार चौबे, कृष्णानंद पांडे।

न्यायालय का निर्णय जे. सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय ने सुनाया

1. यह अपील 20 सितंबर, 2006 को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की खंड पीठ द्वारा आपराधिक अपील सं. 2001 का 441. अपने विवादित निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने अपीलार्थियों द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की।

इस प्रकार निचली अदालत का आदेश, अपीलार्थियों - पचन मंडल @ पचन मंडल और दो अन्य लोगों के साथ मालती देवी आईपीसी की धारा 304 (8)/34 के तहत अपराध का दोषी पाया और उनकी आजीवन कारावास की सजा को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

**पंचानंद मंडल @ पचन मंडल**

**बनाम**

**333 झारखंड राज्य**

**[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे.]**

2. अभियोजन का मामला फरद- बेयान (आई. आर.) जो मुखबिर बच्चू साव (पीडब्लू-14) जो मृतक बसंती देवी का भाई है पर आधारित है । फ़र्द- बेयान के अनुसार ( आर .) 8 14 अगस्त, 1998 को गिरिडीह के सदर अस्पताल में दर्ज, उनकी मृत बहन बसंती देवी की शादी आरोपी कालेश्वर मंडा के साथ संपन्न हुई थी । उनकी मृत्यु से लगभग पाँच साल पहले 12 अगस्त, 1998 को, बच्चू साव को सूचना मिली कि उनकी बहन बसंती देवी जल गई हैं और उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे 12 अगस्त, 1998 की शाम को ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सदर अस्पताल, गिरिडीह आए। उसने देखा कि उसकी बहन आग से बुरी तरह जल गई थी। उसका पूरा शरीर जल गया था। 13.8.1998 को लगभग 11.00 पूर्वाह्न जब उसे होश आया, तो उसने उसे बताया कि 11.8.1998 की रात लगभग 9.00- 10.00 बजे जब वह अपने ससुराल की रसोई में रोटी बना रही थी; उसके ससुर- आरोपी पंचानन मंडल उसकी पत्नी- आरोपी मालती देवी औरऔर उनके दो बेटे फलो मंडल और दासो मंडल आए । उसके ससुर ने एक टिन से उसके सिर पर मिट्टी का तेल डाला और उसकी सास ने उसकी ओवन की जलती हुई लकड़ी से उसकी साड़ी में यह कहते हुए आग लगा दी कि वह दहेज में गाय और सोने की अंगूठी नहीं लाई है। उनके जेठ फालो मंडल और छो देवर (दाइवर) दासो मंडल चाकू निकालकर उसे धमकी देने लगा कि अगर वह जोर से रोएगी तो उसे मार दिया जाएगा। जब उसने आग बुझाने की कोशिश की और कमरे से बाहर आई, तो सभी आरोपी व्यक्तियों ने उसे लाठियों से रसोई के अंदर धकेल दिया और वे उसे जलते हुए देखते रहे। उसने उसे यह भी बताया कि उसका पति कलकत्ता गया था, लेकिन कलकत्ता जाते समय, उसने अपने परिवार के सदस्यों को जलाकर मृतक को मारने के लिए कहा था। फरद- बेयान में आगे कहा गया है कि जब भी मृतक अपने मुखबिर भाई के घर आती थी, तो वह कहती थी कि उसके ससुराल वाले हमेशा उसे दहेज के रूप में गाय और अंगूठी के लिए परेशान करते थे और कभी-कभी वे उसके साथ मारपीट भी करते थे।

उसका बयान एक ए.एस.आई. पुलिस. द्वारा 13.8.1998 को लगभग दोपहर अस्पताल में ही दर्ज किया गया था ।

मृतक ने 14.8.1998 को उपचार के दौरान लगभग 2.00 बजे दम तोड़ दिया ।

3. फ़र्द-बेयान (आई. आर.) के आधार पर मधुपुर पी.एस. मामला नंबर 160/98 दिनांक 16.8.1998 मधुपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। जाँच के बाद ससुर, सास, दो बहनोई और मृतक के पति पर मुक़दमा चलाया गया।

4. अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही का अनुरोध किया। उनका बचाव यह था कि बसंती देवी को अपने ससुराल में खाना पकाने के दौरान दुर्घटनावश आग लग गई थी; अभियुक्त व्यक्तियों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उन्हें चोटें आईं। उसके ससुराल वाले उसे इलाज के लिए गिरिडीह अस्पताल लाए और आरोपी व्यक्तियों ने उसके इलाज के लिए एक बड़ी राशि खर्च की थी। इस प्रकार, वे उसकी मृत्यु के कारण किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं थे जो वास्तव में आकस्मिक आग के कारण हुई थी।

5. आरोपों को लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों से पूछताछ की:
-1 (छत्रधारी मंडल; पीडब्लू-2 (संजय कुमार मंडल) पीडब्लू-3 (केदार राम) पीडब्लू- 4 (पैरू कोले; पीडब्लू- 5 (तुलसी मंडल) पीडब्लू-7 (नूनूलाल मंडल )और पीडब्लू-11 (जानकी मंडल) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू- 6 (कामेश्वर मंडल) पीडब्लू- 8 (त्रिभुवन राम) पीडब्लू- 10 (जीवन मंडल) ने बोली लगाई। पीडब्लू - 16 (अशोक के. मिश्रा) के एक औपचारिक गवाह होने के नाते मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट साबित हुई है जिसे दस्तावेज़.7 के रूप में चिह्नित किया गया था।

पीडब्लू -14 बच्चू साव मृतक का भाई है जो मुखबिर भी है, पीडब्लू -13; भोलिया देवी मृतक की मां है, पीडब्लू -12; गुलाब साह मुखबिर का सह-ग्रामीण है, जो अस्पताल में मृतक को देखने के लिए मुखबिर के साथ भी गया था; पीडब्लू -9; जनार्दन तिवारी मामले का आई.ओ. है। दस्तावेज़.4 को मृत्यु पूर्व घोषणा कहा जाता है। मुख्य रूप से मृत्यु घोषणा (दस्तावेज़.4) और पीडब्लू -12, पीडब्लू के बयानों के आधार पर पीडब्लू-13 और पीडब्लू-14, ट्रायल कोर्ट ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा ए 3048/34 के तहत आरोप साबित किए।

**पंचानंद मंडल @पचन मंडल**

**बनाम**

**झारखंड 335**

**[सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे।]**

चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। मृतक के पति, दूसरे अभियुक्त कालेश्वर मंडल को इस आधार पर आरोपों से बरी कर दिया गया कि वह घटना से पहले गाँव छोड़ गया था, जिसका अर्थ है कि वह घटना के स्थल पर मौजूद नहीं था।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू 13 और 14 मृतक की माँ और भाई होने के नाते इच्छुक गवाह हैं। पीडब्लू- 12 भी उनका सह- ग्रामीण है। इसलिए, उनके साक्ष्य निर्भरता के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उनके अनुसार, अन्य स्वतंत्र गवाह पीडब्लू 1, 2, 3,4,5,7 और 11 ने यह नहीं कहा है कि मृतक दहेज के लिए क्रूरता के अधीन था। पीडब्लू 12,13 और 14 के साक्ष्यों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, विभिन्न कारणों से विस्तार.4, तथाकथित मृत्यु घोषणा, पर निर्भरता नहीं रखी जानी चाहिए। सी.पासवान, ए.एस.आई, जिन्होंने मरने की घोषणा दर्ज की है, उनकी जांच नहीं की गई है। मृत्यु घोषणा में कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि मृतक उन बयानों को देने के लिए मानसिक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ स्थिति में था। इसके अलावा, अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, जलने के मामले में व्यक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ स्थिति में होना संभव नहीं है, जैसा कि दस्तावेज़ 4 में दर्ज किया गया है।

7. राज्य के लिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि फरद- बेयान में, धारा 3048 (1) आई.पी.सी के तत्व, उपस्थित होने पर, दहेज मृत्यु का अनुमान अभियुक्त के खिलाफ जाएगा। उनके अनुसार, मृतक के भाई पीडब्लू-14 और मृतक की मां पीडब्लू-13 के बयान के अनुसार, शादी उसकी मृत्यु से लगभग 5 साल पहले हुई थी, गाय और उसके ससुराल वालों द्वारा मांगी गई सोने की अंगूठी, उक्त मांग उसके परिवार द्वारा पूरी नहीं की गई थी और उसके ससुराल वाले उस पर हमला करते थे क्योंकि मांगें पूरी नहीं की गई थीं। मुखबिर ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट बयान दिया है कि शुरुआत में उसकी मृत बहन का वैवाहिक जीवन मधुर था, लेकिन बाद में आरोपी व्यक्तियों ने दहेज के रूप में एक गाय और एक सोने की अंगूठी की मांग के लिए उसे क्रूरता के अधीन करना शुरू कर दिया।

ये मांगें निश्चित रूप से दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 के तहत दहेज के अर्थ में आती हैं।

इसलिए, पीडब्लू- 13 और 14 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।

8. हमने श्री अनिल कर्णवाल, विद्वान वकील और श्री जयेश गौरव, राज्य के विद्वान वकील को सुना है, जिन्होंने अपीलार्थी की ओर से न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता की ।

हमने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों का भी अध्ययन किया है।

9. विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, हमने देखा है कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से एफ. आई. आर. (दस्तावेज़.1) मृत्यु घोषणा (दस्तावेज़. 4) और पी. डब्ल्यू. 13 और 14 द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित है।

10. आई. पी. सी. की धारा 304B (1) दहेज मृत्यु से संबंधित है और इसे इस प्रकार कहा गया हैः (1) जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अपराध के निम्नलिखित बुनियादी तत्वों को स्थापित करने की आवश्यकता हैः
(i) महिला की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों की तुलना में जलने या घातक चोट के कारण या अन्यथा होनी चाहिए;

(ii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के 7 साल के भीतर हुई होगी।

(iii) उसे पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए; और
(iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

11. विश्वजीत हलदर उर्फ बाबू हलदर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2008) 1 एस. सी. सी. 202 के मामले में इस न्यायालय ने "अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. की धारा 304- बी के अधीन अभियोजन पक्ष इस प्रमाण के भार से नहीं बच सकता कि उत्पीड़न या क्रूरता दहेज की मांग से संबंधित थी और यह विवाह के सात वर्षों के भीतर किया गया था।

12. वर्तमान मामले में, पीडब्लू-14; मृतक के भाई बच्चू साओ ने कहा है कि मृत व्यक्ति की शादी मृत्यु की तारीख से लगभग 5 साल पहले हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के अपने पति और ससुराल वालों के साथ संबंध शुरू में अच्छे थे। उन्होंने आगे कहा कि बाद में एक गाय और एक सोने की अंगूठी की मांग के रूप में दहेज की मांग की गई थी। मृतक की मां भोलिया देवी ने भी बयान दिया है कि मृतक की शादी मृत्यु से लगभग 5 साल पहले हुई थी। उसके अनुसार, मृतक ने उसे ससुर और सास द्वारा जलाए जाने के बारे में बताया और कहा कि दहेज और एफ उत्पीड़न की मांग की गई थी। लेकिन उनके बयान पर इस तथ्य के मद्देनजर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृत्यु से ठीक पहले बोलिया देवी ने मृतक से बात की थी या मृतक बयान देने की स्थिति में था। उसके बयान की पुष्टि बच्चू साव द्वारा की गई है, जो अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन पीडब्लू- 12 गुलाब साव- एक पड़ोसी जिसे अस्पताल में मौजूद भी कहा गया था ,द्वारा पुष्टि नहीं की गई ।

13. दस्तावेज़.4 मरने की घोषणा भी दुर्बलता से ग्रस्त है। मरने की घोषणा को रिकॉर्ड करने वाले लेखक ए सी.पासवान, ए. एस.आई को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा या प्रति परीक्षा के लिए पेश नहीं किया गया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यह था कि एएसआई के खिलाफ जारी समन और पुलिस अधीक्षक, देवघर और गिरिडीह को लिखे गए पत्रों के बावजूद एएसआई की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। ट्रायल कोर्ट ने गलत निर्णय दिया कि यह एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण था। वास्तव में, एएसआई की गैर- उपस्थिति ने प्रतिवादी के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है क्योंकि उन्हें उससे जिरह करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि मृत्यु घोषणा (दस्तावेज़.4) को किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था जिसमें कहा गया था कि मृतक बयान देने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट स्थिति में था। हालांकि ऐसा प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह दर्ज करने वाले अधिकारी का कर्तव्य था कि वह यह उल्लेख करे कि क्या मृतक इस तरह का बयान देने के लिए मानसिक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ था, विशेष रूप से जब मामला थर्ड डिग्री बर्न का था जिससे मृत्यु हो सकती थी।

14. तत्काल मामले में, ससुराल वालों का मृतक के खिलाफ अशुभ आरोप लगाए गए हैं। पीडब्लू- 13; भोलिया देवी, मृतक की मां या पीडब्लू- 14; मृतक के भाई बच्चू सॉव द्वारा अपने बयानों में कोई विशिष्ट घटना नहीं बताई गई है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मृतक को "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" और दहेज की मांग के संबंध में" क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। "।

15. इस प्रकार, हम पाते हैं कि व्यावहारिक रूप से यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मृतक की मृत्यु से कुछ समय पहले दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में कोई क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। इसके अलावा, मृतक ने अपनी मृत्यु घोषणा में दहेज की मांग का संकेत देते हुए कोई बयान नहीं दिया है।

बचाव पक्ष ने मृत्यु घोषणा की प्रामाणिकता के बारे में सफलतापूर्वक एक वैध संदेह पैदा किया है क्योंकि इसे दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी की जांच नहीं की गई थी। साक्ष्य में ऐसी कमी अभियोजन मामले के लिए घातक साबित होती है क्योंकि सामान्य रूप से क्रूरता और उत्पीड़न का साक्ष्य आईपीसी की धारा 304B को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

**पंचानंद मंडल @PACHAN MAN DAL**

**बनाम**

**राज्य 339**

**झारखंड [सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे।]**

16. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।

इसलिए, दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार हमने सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा सत्र विचारण सं. 10.8.2001 में पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया। पंचानन मंडल और मालती देवी के संबंध में 158/1999 और 20.9.2006 के निर्णय को आपराधिक अपील में झारखंड उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया। नं. 441/ 2001. अपील की अनुमति है। अभियुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

**अपील की अनुमति दी गई।**

**यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।**